ABP-A
Crim-1

**FORM NO III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मनोहर सिंह पुत्र स्व. श्री नीम्ब सिंह व अन्य बनाम मोती सिंह पुत्र श्री कालू सिंह जाति रावत व अन्य

किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रा०पत्र नम्बर 240 सन् 2021 (ब्यावर) श्याम कपाहेली बलाई

2021/240

| तारीख<br>पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री भींयाराम चौधरी श्री | नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 8.11.21 | यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः नम्बर पर लिये जाने अपील श्री भींयाराम चौधरी एड्वोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 16.11.2021 को पेश हों।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |
| 16.11.21 | प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया।<br>अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि अपील में माननीय न्यायालय द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाजें प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी/अभिभाषक उपस्थित नहीं हो सके और बाद में जब उपस्थित हुए तो पता चला कि न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि अपील को आदेश 09 नियम 3 जाप्ता दीवानी में खारिज किया जाता है तो उसके लिए आदेश 09 नियम 4 जाप्ता दीवानी में बाजदायरी होती है इसलिए अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस की जरूरत नही होती है। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।<br>अभिभाषक प्राथीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।<br>**अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>अजमेर | |